



मध्यप्रदेश पावर जनरेंटिंग कंपनी लिमिटेड

कार्यालय : अधीक्षण अभियंता (एम.पी.सी. एवं प्रशिक्षण)
अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई जिला-अनूपपुर (म.प्र.) 484220



आजादी का

दूरभाष 07659-263787

ई मेल-setrgatps001@gmail.com

क्रमांक: 001-01/प्रशिक्षण/ 786

चचाई, दिनांक -03/07/2024

विज्ञापन

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत ग्रेज्यूएट/टेक्निशियन (डिप्लोमा)/आई.टी.आई.) अप्रेंटिस के लिए अवेदन वर्ष 2024-2025 हेतु म.प्र. राज्य के शासकीय/अशासकीय मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई.टी.आई.) से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शाखाओं/व्यवसायों (ब्रांच/ट्रेड) में एक वर्षीय (एक वर्ष) अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते हैं:-

ग्रेज्यूएट अप्रेंटिस

क्र.	शाखा	सामान्य	ओ.बी.सी.	अ.ज.जा.	अ.जा.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल योग
1	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	01	02	02	01	06
2	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	01	---	---	---	01
3	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	01	---	---	---	01
कुल		03	02	02	01	08

डिप्लोमा अप्रेंटिस

क्र.	शाखा	सामान्य	ओ.बी.सी.	अ.ज.जा.	अ.जा.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल योग
1	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	01	---	---	---	01
2	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	---	01	01	---	02
कुल		01	01	01	---	03

आई.टी.आई. अप्रेंटिस

क्र.	शाखा	सामान्य	ओ.बी.सी.	अ.ज.जा.	अ.जा.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल योग
1	फिटर	03	02	01	02	08
2	टर्नर	01	01	01	---	03
3	वेल्डर	01	01	01	---	---	03
4	मोटर मैकेनिक	01	01	01	---	---	03
5	इलेक्ट्रीशियन	02	02	02	02	02	10
6	कोपा	01	01	---	---	---	02
कुल		09	08	06	04	02	29

नोट:-

- i. उक्त रिक्तियां केवल म.प्र. के मूल निवासी उम्मीदवार के लिए है। आवेदन पत्र को कार्यालय में जमा करें या डाक द्वारा दिये गये पते पर भेजें।
पता:- कार्यालय-अधीक्षण अभियंता (एम.पी.सी. एवं प्रशिक्षण), अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चर्चाई जिला-अनूपपुर(म.प्र.) 484220
आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि दिनांक 09/08/2024 है। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- ii. विभिन्न वर्गों का आरक्षण, म.प्र. शासन के नियमानुसार किया जावेगा।

प्रशिक्षण के लिए लागू नियम व शर्त:-

01. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता – शासन के नियमानुसार संबंधित विषय में।
(अ) ग्रेज्यूएट अप्रेंटिस – मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में डिग्री।
(ब) टेक्नीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस – मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में डिप्लोमा।
(स) आई.टी.आई. अप्रेंटिस – शासकीय/अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से (एस.सी.व्ही.टी./एन.सी.व्ही.टी.) आई.टी.आई. उत्तीर्ण।
02. पात्रता-
(अ) उम्मीदवार इससे पूर्व अप्रेंटिसशिप योजना के अन्तर्गत किसी भी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो।
(ब) प्रशिक्षुओं का चयन उनके शाखा/व्यवसाय में कुल प्राप्तांकों (सी.जी.पी.ए.) की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) के आधार पर किया जावेगा।
03. प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर म.प्र.पा.जन.कं.लि. द्वारा नियुक्ति देने की बाध्यता नहीं होगी।
04. आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
05. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान कंपनी के आवास रिक्त होने की स्थिति में उपलब्धतानुसार ही निर्धारित शुल्क आधार पर आवास सुविधा प्रदान की जावेगी।
06. आई.टी.आई. उत्तीर्ण आवेदक को भारत सरकार के NAPS(National Apprenticeship Promotion Scheme) तथा ग्रेज्यूएट/टेक्नीशियन(डिप्लोमा) उत्तीर्ण आवेदकों को NATS (National Apprenticeship Training Scheme) अप्रेंटिस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आवश्यक दिशानिर्देश हेतु आवेदक समय समय पर अपना ई-मेल आई.डी. तथा कंपनी की वेबसाइट <http://mppgcl.mp.gov.in> भी देखते रहे।
07. अनु.जाति/अ.ज.जा./ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण अप्रेंटिसशिप एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रहेगा।
08. अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
09. किसी भी प्रशिक्षु के चयन/निरस्त करने का अधिकार बिना किसी कारण बताये म.प्र.पा.जन.कं.लि., चर्चाई अपने पास सुरक्षित रहेगा।
10. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक रहेगा।
11. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षु को सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटना संबंधी बीमा कराना आवश्यक होगा, जिसकी पॉलिसी की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
12. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को शासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी, चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं आधार की फोटो प्रति 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध इत्यादि आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराये जाना आवश्यक होगा।

13. आवेदन से सम्बंधित विस्तृत जानकारी कम्पनी की वेबसाइट <http://mppgcl.mp.gov.in/carreers.html> पर उपलब्ध है।

14. आरक्षण एवं आयु में छूट:-

- चयन प्रक्रिया में अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग आरक्षण नियम (संशोधित) 2015 एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा। यदि अनु.जाति/अ.ज.जा. संवर्ग में निर्धारित संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में भरा जायेगा। तदोपरांत रिक्त रहने पर अन्य संवर्गों से भरा जा सकेगा।
- सभी वर्गों में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की संगणना तिथि 09.08.2024 के आधार पर की जावेगी।
- सामान्य वर्गों के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी तथा अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.प.वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट रहेगी।
- शिक्षता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष रहेगी।

15. चयन प्रक्रिया :-

- आर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छटाई की जावेगी। तत्पश्चात्, म.प्र.पा.ज.कं.लि., अ.ता.वि.गृह, चर्चाई द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों में आई.टी.आई. अप्रेंटिसशिप हेतु आई.टी.आई. में प्राप्त सीजीपीए (सेमेस्टर के औसत) अंको के प्रतिशत के आधार और ग्रेज्युएट(डिग्री)/टेक्नीशियन(डिप्लोमा) अप्रेंटिस हेतु डिग्री/डिप्लोमा में सीजीपीए (सेमेस्टर के औसत) के अंको के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रम (मेरिट लिस्ट) में चयन किया जावेगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी। आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट से चयन किया जायेगा।
- उम्मीदवार केवल एक ही व्यवसाय/शाखा में आवेदन भर सकता है।
- निर्धारित समयावधि में ज्वाइन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग का प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना आवश्यक है।
- चयनित पात्र प्रशिक्षणों का Final Registration Approval NATS Portal एवं NAPS Portal पर Approval होने के बाद ही प्रशिक्षण हेतु बुलाया जायेगा।
- प्रशिक्षु का NATS Portal पर Registration Approved के लिए उस दिनांक पर प्रशिक्षु का उत्तीर्ण करने का दिनांक 03 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए अन्यथा उनका Registration Approval नहीं होगा। Approve न होने की स्थिति में उनका Selection cancel कर दिया जायेगा।

16. स्ट्राइपेण्ड :-

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार स्ट्राइपेण्ड देय होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार है:-

क्र.	आर्हता	मसिक स्ट्राइपेण्ड (रु0 में)
1	एक वर्षीय आई.टी.आई. अप्रेंटिस	7700/-
2	दो वर्षीय आई.टी.आई.	8050/-
3	टेक्नीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस	8000/-
4	ग्रेज्युएट अप्रेंटिस	9000/-

नोट:- इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/लाभ की पात्रता नहीं होगी।

17. चिकित्सा/स्वास्थ्य मानक:-

- किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन चिकित्सा फिटनेस जो कि जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है के आधार पर ही किया जावेगा।

18. महत्वपूर्ण निर्देश एवं शर्तें:-

- उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि, शिक्षता प्रशिक्षण के लिये योग्यता रखते हैं तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियां सही हैं।
- यदि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि, उम्मीदवार निर्धारित आर्हताओं को पूरा नहीं करते हैं और हमारी आवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते हैं। अथवा

उन्होंने कोई भी जानकारी छुपाई है तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जावेगा एवं प्रशिक्षण समाप्ति जैसी सख्त कार्यवाही की जा सकती है।

- iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग उम्मीदवार कृपया अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरे चूंकि बाद में उनके द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी।
 - iv. विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही का निपटारा शिक्षता अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के आधार पर किया जावेगा।
 - v. उम्मीदवार चयन हेतु म.प्र.पा.ज.कं.लि., अ.ता.वि.गृ., चर्चाई द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
 - vi. शिक्षता अधि में अभ्यर्थियों को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं 3 ऐच्छिक अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी।
 - vii. दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी क्षतिपूर्ति नियम 1923 लागू होगा।
 - viii. म.प्र.पा.ज.कं.लि., अ.ता.वि.गृ., चर्चाई को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए, चयन प्रक्रिया को रद्द करने/सीमित करने/बढ़ाने का अधिकार होगा।
 - ix. चयन न होने की स्थिति में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।
 - x. उम्मीदवार ध्यान रखें कि, शिक्षता अधिनियम 1961 की कंडिका 22(1) के अनुसार यह विज्ञापन शिक्षता प्रशिक्षण के लिए है, नौकरी या रोजगार के लिए नहीं। प्रशिक्षण के उपरांत म.प्र.पा.ज.कं.लि., अ.ता.वि.गृ., चर्चाई किसी भी उम्मीदवार को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और नही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।
 - xi. शिक्षता अधिनियम 1961 की कंडिका 2(1) एवं (2) के अनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत कौशल विकाश एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाणपत्र प्रदान किया जावेगा।
- 19 प्रशिक्षकों को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रशिक्षण के दौरान कम्पनी के आवास रिक्त होने पर उपलब्धतानुसार ही निर्धारित शुल्क के आधार पर आवास आवंटित किये जा सकेंगे। प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर प्रशिक्षु स्वयं जिम्मेदार होगा। म.प्र.पा.ज.कं.लि. की इसके लिए क्षतिपूर्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 20 आवेदक द्वारा आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर या डाक के माध्यम से कार्यालय-अधीक्षण अभियंता (एम.पी.सी. एवं प्रशिक्षण), अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चर्चाई जिला- अनूपपुर(म.प्र.) 484220, के पते पर जमा/ प्रेषित करना होगा।

अधीक्षण अभियंता (एम.पी.सी. एवं प्रशिक्षण)
अ.ता.वि.गृह, म.प्र.पा.ज.कं.लि., चर्चाई